भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 662

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की सेवा नियमित करने की योजना

662. श्री शमशेर सिंह मन्हास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में कितने विशिष्ट पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन पुलिस अधिकारियों की सेवा को नियमित करने का कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या ये पुलिस अधिकारी पिछले दस वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और प्रति मास 3000 रुपये के मामूली वेतन से उनका भविष्य अंधकारमय है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की कुल पद सं. 25,474 है।

(ख) से (ङ): जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कांस्टेबलों/फॉलोअर्स के रूप में एसपीओ के आमेलन/संपरिवर्तन के लिए वर्ष 2009 में एक व्यापक नीति लागू की गई है। इस नीति में निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:-

(क): उनके निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर कांस्टेबलों/फॉलोअर्स के रूप में उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत तक एसपीओज़ का आमेलन/संपरिवर्तन (न्यूनतम तीन वर्षों की नियुक्ति के साथ):-

- **(i)** **विद्रोह-रोधी अभियानों में उत्कृष्टता।**
- **(ii)** **खेल-कूद में उत्कृष्टता और राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की एकल अथवा टीम स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान जीता हो।**

दोनों स्रोतों में से किसी एक से कांस्टेबल के रूप में संपरिवर्तन के लिए आयु सीमा और न्यूनतम अर्हता क्रमश: 37 वर्ष और मिडिल उत्तीर्ण है।

---2/-

(ख) फॉलोअर्स के रूप में विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई डिप्लोमाधारी अथवा कम्प्यूटर में एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी एपीओ का संबंधित ट्रेड टेस्ट में उनके क्वालीफाई करने की शर्त पर संपरिवर्तन/नियुक्ति (न्यूनतम तीन वर्षों की नियुक्ति के साथ)

उपर्युक्त में से किसी भी स्रोत से फॉलोअर्स के रूप में एसपीओ की नियुक्ति के लिए आयु सीमा और/अथवा शैक्षणिक अर्हता की कोई अपेक्षा नहीं है।

ऐसे एसपीओ जिन्होंने 28 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली है, लेकिन 37 वर्ष से कम आयु के हैं और तीन वर्ष की नियमित नियुक्ति पूरी कर ली है, वे कांस्टेबलों/फॉलोअर्स के पद पर नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस स्रोत के माध्यम से भर्ती उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

***